अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3 |
|---|---|---|
| | न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा<br><br>आँगनबाड़ी अपीलवाद संख्या– 54–123/2012<br><br>अपीलार्थी – हरिहर देवी<br><br>बनाम<br><br>रेस्पोण्डेन्ट – बिहार, सरकार<br><br>**आदेश**<br><br>प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1429 दिनांक 24.9.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानान्तंरित होकर दायर किया गया है।<br><br>प्रश्नगत केन्द्र में आरोप यह है कि दिनांक 28.6.2012 को श्रीमती रंजना कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा 11:25 बजे राघोपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 78 दीना दास टोला सिमराही केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सहायिका श्रीमती हरिहर देवी अनुपस्थित मिली<br><br>सहायिका श्रीमती हरिहर देवी का निरीक्षण तिथि को अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्यालय पत्राक 1148 दिनांक 9.8.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किया गया एवं अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु दिनांक 25.8.2012 को तिथि निर्धारित किया गया निर्धारित तिथि को सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया किन्तु उनके स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1429 दिनांक 24.9.2012 द्वारा, चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया। | |

इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष, कागजात सबूत पेश किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 28.6.2012 को 11:25 बजे महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया सहायिका भी उस तिथि को केन्द्र पर गई थी, किन्तु केन्द्र की सेविका चन्द्रिका कुमारी केन्द्र का संचालन पोषक क्षेत्र के मध्य या सार्वजनिक स्थल,स्कूल पंचायत भवन पर नहीं करके अपने घर पर से ही करती है, जिसकी सूचना मैं कार्यालय कई बार दी चुकी हूँ। तथा सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा भी ज्ञापांक 171 दिनांक 15.5.08 द्वारा केन्द्र को सरकारी विद्यालय भवनों में चलाने को कहा गया , किन्तु सेविका तमाम विभागीय आदेशों की अवहेलना करती आ रहीं है। मैं निरीक्षण दिनांक 28.6.2012 को भी सेविका के घर के सामने सड़क पर खड़ी थी, मैं पर्यवेक्षिका निरीक्षी पदाधिकारी से कुछ कहना चाह रही थी, किन्तु वे सेविका से ही बात कर चली गई और सेविका द्वारा मेरे बारे में गलत बताया कि सहायिका बराबर अनुपस्थित रहती है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यहाँ भी बताया कि सेविका श्रीमती चन्द्रिका देवी पूर्व से पुरानी दुश्मनी के बजह के कारण सेविका द्वारा केन्द्र अपने घर पर चलाने के कारण सहायिका अलग खड़ी रहती है, प्रमाण स्वरूप उन्होंने दिखाया कि राघोपुर थाना कांड सं0 – 78/98 जो B.D.O राघोपुर द्वारा सेविका के पति घनश्याम पाण्डे क विरूद्ध दर्ज है मै सहायिका के पति श्री बिन्देश्वरी पांडे द्वारा गवाह होने के कारण सेविका/सहायिका से पुरानी दुश्मनी रखती है, (थाना –कांड सं0– अवलोकनीय)

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका/ सहायिका के बीच पुरानी दुश्मनी होने के कारण दोनों के बीच बोल–चाल भी बंद है, उन्होंने यह भी बताया कि सेविका के पति, –शसुर इस प्रकार के दबंग प्रवृति के व्यक्ति है कि जाँच के क्रम में पिछले वर्ष ज्योत्सना कुमारी महिला पर्यवेक्षिका के साथ भी उनके पति – शसुर ने अभद्र व्यवहार किए जिस पर महिला पर्यवेक्षिका ने राघोपुर थाना कांड सं0– 30/8 दर्ज कराए थे, अवलोकन कराया गया

उन्होंने यह भी बताया कि सेविका द्वारा अपने दरवाजे पर केन्द्र चलाए जाने, एवं पुरानी दुश्मनी के कारण, बारम्बार उन्हें तंग करने एवं कार्यालय से मिलकर गलत रिर्पोट करने की शिकायत उन्होंनेD.M सुपौल को 11.1.2008, को सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर 10.1.08 को S.D.O बिरपुर को 17.11.2008 को शिकायत

पत्र समर्पित किया जिस पर जाँचोपरान्त कार्रवाई की अनुशंसा भी हुई है। फिर भी सेविका घर से ही केन्द्र चलाती है एवं, दुश्मनी के कारण मेरे बारे में गलत प्रतिवेदित करवाती रहती है उन्होंने यह भी बताया कि अगर सहायिका को निरीक्षण तिथि को अनुपस्थित माना भी जाय तो भी माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना पारित निर्णय C.W.J.C NO–1285/10; 19486/2011,317/2014 अवलोकनीय है, जिसमें one day leave को मान्यता दी गई है।

सेविका को सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा भी पत्रांक 171 दिनांक 15.5.2008 द्वारा केन्द्र स्थल परिवर्तन प्रा0वि0 दीना नाथ टोला में shift करने संबंधी आदेश के बावजूद भी स्थल परिवर्तन नहीं किया, घर पर से केन्द्र चलाती है एवं सहायिका को अनुपस्थित बताने का प्रयास करती है, जबकि सहायिका नियमित रूप से केन्द्र के बाहर निर्धारित स्थल पर खड़ी मौजूद रहती है।

इसके पूर्व में भी दिनांक 14.3.2006 को भी सी0डी0पी0ओ0 की मौजुदगी में केन्द्र स्थल निर्धारण हेतु बैठक में सेविका को अपने घर से हटाकर रघुवीर पांडे क दरबाजे पर किराया पर मकान लेकर चलाने हेतु निर्देश दिया गया किन्तु सेविका द्वारा अनुपालन नहीं किया । जो बदल कर पुनः अपने दरबाजे पर बारम्बार ले जाने पर वर्ष 2008 में 15.8.2008 का प्रा0 वि0 दीना दास टोला में shift हुआ।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं, निष्कषों के अधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सेविका/ सहायिका के बीच पुरानी रंजिश दुश्मनी के वजह से पोषकक्षेत्र के लाभुकों के बीच समुचित केन्द्र संचालन नहीं होता है। सेविका अपने घर से केन्द्र संचालन करती रही है, जो विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है, साथ ही दुखद है। अपने पदाधिकारियों के निर्देश का अनुपालन नहीं करना भी उनके उदंडता को परिलक्षित करता है , अतः न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल/ संबंधित सी0डी0पी0ओ0/ महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश देती है कि प्रश्नगत केन्द्र का संचालन किसी भी सरकारी भवन/ पंचायत भवन / विद्यालय/ किराये के मकान में कराये जहाँ लाभुक वर्ग के बच्चे असानी से पहुँचकर इसका लाभ उठा सके। सेविका द्वारा अपने उच्चाधिकारी के आदेश/ निदेश का पालन किया जना चाहिए। सेविका/सहायिका आपसी दुश्मनी,/दुश्मनी रंजीश को लाभुक बच्चों पर पड़ने न दें। मिल जुलकर/ आपसी सामंजस्य/मित्रता बनाकर पोषकक्षेत्र के लाभुकोंबच्चों को ज्यादा उत्थान कल्याण हो सकता है।

इस अपीलवाद को स्वीकार करते हुए न्यायालय सहायिका श्रीमती हरिहर देवी को कड़ी चेतावनी देकर पुनः सहायिका के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से बरकरार रखती है एवं उन्हें निर्देश देती है कि वे भी सेविका के साथ आपसी प्रेमभाव सामंजस्य बनाकर केन्द्र का संचालन नियमित रूप से करें समय समय पर केन्द्र संचालन के आने वाली परेशानी को अपने बरीय पदाधिकारी को ध्यान में देकर निराकरण का रास्ता खोजें, किसी भी बाते को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनने दें सुझ–बुझ कर रास्ता निकाले। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधन

6.1.2015.

उप निर्देशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा

6.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा